निरीक्षण रिपोर्ट

दिनांक 5–6–2016 को मेरे द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित आई0डब्ल्यूएमपी–6 के तहत विकास खण्ड राठ के ग्राम पंचायत बसेला एवं सैदपुर में कराये गये कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी राठ,भूमि संरक्षण अधिकारी,सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग राठ(द्वितीय) ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। योजनान्तर्गत दोनों ग्राम पंचातयों में निम्नलिखित पक्के कार्य सम्पादित किये गये हैं।

निष्पादित कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	पक्की संरचना का नाम	खसरा संख्या	लाभार्थी का नाम	अनुमानित अच्छादित क्षेत्र	अनुमानित व्यय धनराशि
1	3	4	5	6	7		8
1	राठ	बसेला	स्पिलवे	639	सुरेन्द्र कुमार पुत्र मन्नीलाल	8.95	60150
2			स्पिलवे	635	महादेव प्रसाद पुत्र गोरीशंकर	8.90	60150
3			स्पिलवे	631	देवीदयाल पुत्र बशोरा	9.00	60150
4			स्पिलवे	628	जगदीश पुत्र नवल किशोर	9.10	60150
5			स्पिलवे	628	संतोषरानी पत्नी शत्रुघन	8.90	60150
6			स्पिलवे	626	हरप्रसाद पुत्र बलुआ	8.90	60150
7			सी0डी0	652 / 639	नाला	4.20	160000
8		सैदपुर	स्पिलवे	248 / 2	रामशंकर	7.15	48000
9			स्पिलवे	248 / 1	राजाराम	7.00	48000
10			स्पिलवे	140	श्रीमती ममता	7.10	48000
11			स्पिलवे	619	वंशगोपाल	6.90	48000

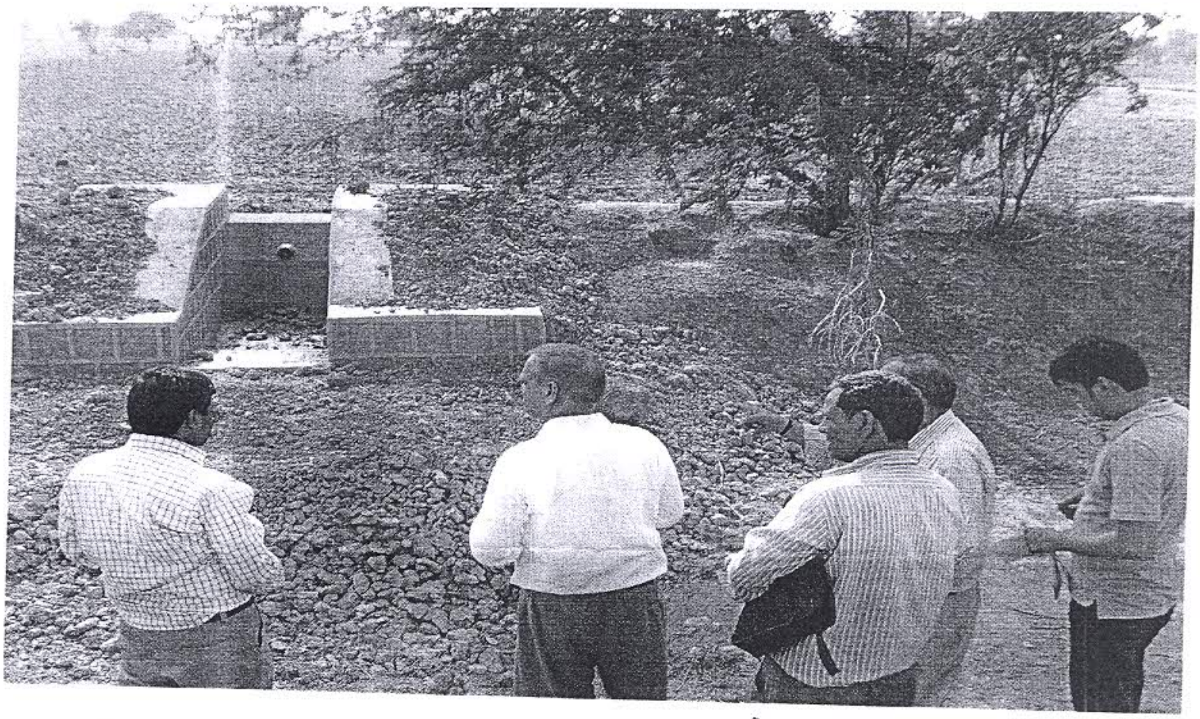

ग्राम पंचायत बसेला में 06 स्पिलवे एवं 01 सी0डी0 तथा ग्राम पंचायत सैदपुर में 04 स्पिलवे बनाये गये हैं। उपस्थित भूमि संरक्षण अधिकारी राठ द्वारा बताया गया कि उक्त योजना वर्ष 2011—12 में शुरू की गयी थी,जिसके तहत मेडबंदी का कार्य वर्ष 2013—14 में कराया गया है तथा इसी मेडबंदी में स्पिलवे का निर्माण वर्तमान में किये गये है,जो पूर्ण हो चुके है। उनके द्वारा बताया गया कि इस कार्य से किसानों के खेतों का पानी रूकेगा जो खेतों की सिंचाई हेतु प्रयोग में लाया जायेगा। यह भी बताया गया कि उनके विभाग द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम,चेकडेम एवं अर्दन चेकडेम भी बनाये गये हैं। कार्य स्थल कोई बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। दोनों ग्राम पंचायतों में किसी भी कार्यस्थल कोई बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है, जिसमें कार्य का नाम,वर्ष,लागत एवं लाभार्थी का नाम आदि अंकित हो। यह मा0 मुख्य सचिव,उ0प्र0 शासन के निर्देशों का उल्लंघन हैं। निर्देश दिये गये कि उनके विभाग में जहां कहीं भी कार्य कराये जा रहे हैं,कार्य स्थल पर बोर्ड अनिवार्य रूप से स्थापित किये जायें। यह भी निर्देश दिये गये कि जो भी कार्य कराये जायें वह निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप हो तथा जनहित एवं किसानों के हितों के अनुरूप होने के साथ उनकी उपयोगिता एवं औचित्यपूर्ण होने चाहिए। कार्य योजना बनाने के पूर्व इस पर ध्यान अवश्य दिया जाये।

(उदयवीर सिंह यादव)
जिलाधिकारी,,
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी,हमीरपुर।

पत्रांक 54 /पी0ए0 — दिनांक—जून, 7 2016

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. आयुक्त,चित्रकूटधाम मण्डल,बांदा की सेवा में सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर।
3. उप निदेशक,भूमि विकास एवं जल संसाधन हमीरपुर।
4. भूमि संरक्षण अधिकारी,प्रथम,भूमि विकास एवं जल संसाधन हमीरपुर।
5. भूमि संरक्षण अधिकारी,राठ(द्वितीय)भूमि विकास एवं जल संसाधन हमीरपुर।
6. डी0आई0ओ0एन0आई0सी0 हमीरपुर।

07.6.16

(उदयवीर सिंह यादव)
जिलाधिकारी,
हमीरपुर।